

फोन सं.022-22001050

फैक्स सं. 022-2004693

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

पो.बै.सं.11500,मुंबई-400 020.

सं.2(65)/2006-07/पीडीसी/खण्ड-4/

दिनांक /12/2008

परिपत्र सं. 3

(पीडीसी 2008-2009 श्रृंखला)

विषय - विद्युत करघा क्षेत्रा के लिए प्रौउनियो के अन्तर्गत 20% दर पर मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएमएस @ 20%-TUFS) प्रचालन हेतु दिशा निर्देश ।

संदर्भ - नवंबर,2007 का जी.आर.सं.06/04/2007 सीटीआई

परिशिष्ट - 1 के संलग्नक पी के क्रम सं. 2 के अंतर्गत प्रौउनियो की मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएमएस @ 20%-TUFS) के लिए 10 वर्ष तक की विन्टेज वाली (01.04.2007 से 31.03.2012 तक) पात्र पुरानी मशीनरियों के बेंचमार्क मूल्य का अनुशेष ।

उपरोक्त संदर्भ में गैर यूरोपीय संघ देशों के एयरजेट करघों के मामलें में अनुदान के संबंध में अधिकतम बेंचमार्क कीमों को निम्नानुसार पढा जाएं:-

क्र.सं.	आयातित पुरानी मशीनरी का वितरक	मॉडल/ विशेष विवरण	अनुदान हेतु गैर यूरोपीय देश के लिए बेंचमार्कड मूल्य की अधिकतम सीमा
1	2	3	4
1	एयर जेट करघे चाहे कोई भी शोडिंग मैकेलिज्म हो	गति/चौडाई कुछ भी हो	रु. 5.50 लाख

बेंचमार्क मूल्य की परिशिष्ट-1 में दी गई ऊपरी सीमा मं कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(एन.एस.रावत)

निदेशक

प्रति,

1. वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
2. सचिव, टीएमएमए, मुंबई
3. सभी विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी